



आवास अनुभाग/Housing Section  
भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

ICAR-Indian Agricultural Research Institute  
नई दिल्ली-12/ New Delhi-12

मिसिल संख्या 3-4/2024/H/(e-file:405361) /640

दिनांक: 24.06.2026

### परिपत्र

**विषय: जून-2026 चक्र हेतु ICAR- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रतीक्षा सूची-2026 में सम्मिलित पात्र आवेदकों से ICAR- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आवासीय आवास (टाइप-I से टाइप-V) के आवंटन के लिए विकल्प/वरीयताएँ आमंत्रित किए जाने के संबंध में।**

इस कार्यालय के दिनांक 07.05.2026 के परिपत्र के क्रम में, जिसके माध्यम से ICAR- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रतीक्षा सूची-2026 (जो 29.04.2026 को प्रसारित किया गया था) में सम्मिलित पात्र आवेदकों (नवीन आवंटन तथा आवास परिवर्तन दोनों के लिए) से ICAR- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आवासीय आवास (टाइप-I से टाइप-V) के आवंटन हेतु वरीयताएँ/विकल्प आमंत्रित किए गए थे, अब **दिनांक 23.06.2026 की स्थिति के अनुसार आवंटन हेतु उपलब्ध अनुलग्नक -I में सूचीबद्ध रिक्त आवासों के संबंध में जून-2026 आवंटन चक्र के लिए पात्र आवेदकों से वरीयताएँ/विकल्प आमंत्रित किए जाते हैं।** दिनांक 06.05.2026 की स्थिति के अनुसार रिक्त आवास, मई-2026 आवंटन चक्र के अंतर्गत आवास आवंटन समिति (HAC) द्वारा आवंटन हेतु विचाराधीन हैं। चूंकि दिनांक 06.05.2026 की रिक्त सूची जारी होने के पश्चात अतिरिक्त आवास रिक्त हुए हैं, अतः इन रिक्त आवासों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जून-2026 आवंटन चक्र प्रारंभ किया जा रहा है।

**2. वर्तमान प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित सभी पात्र आवेदकों/संभावित आवंटितों से अनुरोध है कि वे अनुलग्नक -I में दर्शाए गए आवास संख्या में से अपनी वरीयताएँ/विकल्प, अनुलग्नक-II में दिए गए निर्धारित प्रारूप में, दिनांक 06.07.2026 (सायं 5:00 बजे) तक प्रस्तुत करें। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जून, 2026 में आवास आवंटन हेतु केवल उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जाएगा, जिन्हें मई, 2026 चक्र के अंतर्गत प्रस्तुत उनकी वरीयताओं के आधार पर आवास आवंटित नहीं हुआ है।**

निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन, अनुलग्नक-II के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन अथवा किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। आवेदन केवल आवास अनुभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएँ। आवेदक अपनी वरीयताएँ निम्नलिखित माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं—

(क) ई-ऑफिस के माध्यम से ई-रसीद (e-Receipt) बनाकर (ई-फाइल नहीं); अथवा

(ख) भौतिक रूप में आवास अनुभाग को।

आवास आवंटन समिति (HAC) के किसी सदस्य को सीधे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. दिनांक 07.05.2026 के परिपत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्तों को निम्नानुसार पुनः दोहराया जाता है—

i. आवासों का आवंटन प्रतीक्षा सूची-2026 में वरिष्ठता क्रम तथा आवेदक द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर, समय-समय पर संशोधित GPRA-2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

ii. केवल पसंद दर्शाने मात्र से किसी विशेष आवास पर आवंटन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

iii. यदि कोई आवेदक अनुलग्नक -I में उल्लिखित किसी भी आवास के लिए अपनी पसंद/विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है, तो वर्तमान आवंटन चक्र में उसे कोई आवंटन नहीं किया जाएगा।

iv. तथापि, ऐसे आवेदक की वरिष्ठता/प्राथमिकता तिथि प्रतीक्षा सूची में सुरक्षित रहेगी तथा अगले आवंटन चक्र/माह में विचार हेतु आगे बढ़ाई जाएगी।

v. उपलब्ध रिक्त आवासों के लिए विकल्प आमंत्रित करने की यह प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक माह संचालित की जाएगी, बशर्ते रिक्त आवास उपलब्ध हों तथा प्रशासनिक आवश्यकताएँ अनुमति दें।

4. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे रिक्त क्वार्टरों का निरीक्षण करें, प्रकार एवं मंजिल संबंधी अपनी पसंद की जांच करें तथा आवास का निरीक्षण करने के बाद ही आवंटन हेतु अपनी पसंद प्रस्तुत करें। यदि आवंटन आवेदक की पसंद के अनुसार कर दिया जाता है, तो बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

5. जिन आवेदकों को ज्ञापन दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से आवंटन ज्ञापन जारी किया गया था और जिन्होंने आवंटन स्वीकार नहीं किया, उन्हें GPRA-2017 के प्रावधानों के अनुसार तीन माह की अवधि तक पुनः आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

6. प्रतीक्षा सूची-2026 में सम्मिलित प्रत्येक आवेदक, जो वर्तमान आवंटन चक्र में आवंटन हेतु विचार किया जाना चाहता है, को उपलब्ध आवासों के लिए अपनी वरीयताएँ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होंगी। विधिवत भरा हुआ प्रपत्र (अनुलग्नक-II) प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आवेदक वर्तमान चक्र में परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध किसी भी रिक्त आवास के आवंटन में रुचि नहीं रखता है।

7. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने हेतु अपने विकल्प समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8. यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास)

टिप्पणी: आवासों की रिक्ति सूची तैयार करते समय यथासंभव सावधानी बरती गई है। तथापि, रिक्तियों की सूची में किसी भी अनजाने त्रुटि या गलती को सुधारा जा सकता है।

## वितरण:

1. परियोजना निदेशक/सभी प्रभाग प्रमुखों/सभी अनुभाग प्रभारीगण से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच प्रसारित करें।
2. निदेशक के निजी सचिव/सभी संयुक्त निदेशकों के निजी सचिव/वरिष्ठ नियंत्रक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वरिष्ठ ग्रेड), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, को सूचनार्थ।
3. आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण/ अध्यक्ष –निर्माण समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
4. IJSC-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सचिव को सूचनार्थ और IJSC सदस्यों के बीच प्रसारित करने हेतु।
5. निदेशक, ICAR-NIPB एवं ICAR-NRIIPM को जानकारी हेतु एवं इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र की सामग्री को प्रतीक्षा सूची-2026 में शामिल सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाएं।
6. कार्यकारी अभियंता, सी. डी. IV, सी.पी.डब्लू.डी., पूसा परिसर, नई दिल्ली/ इन्क़ायरी, सी.पी.डब्लू.डी, कृषि कुंज, नई दिल्ली/ प्रभारी, कार्य एवं एम.ई. अनुभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से अनुरोध है कि पात्र आवेदकों को आवास निरीक्षण (अनुलग्नक I) की सुविधा प्रदान करें।
7. प्रभारी, एकेएमयू से अनुरोध है कि परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. गार्ड फाइल।

नोट: हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।





आवास अनुभाग/Housing Section  
भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  
ICAR-Indian Agricultural Research Institute  
नई दिल्ली-12/ New Delhi-12

File No.3-4/2024/H/(e-file:405361)

Dated : 24.06.2026

**Circular**

**Subject: Invitation of preferences/choices for allotment of ICAR-IARI residential accommodation (Type I to Type V) from the eligible applicants borne on the ICAR-IARI Waiting List-2026 for June-2026 Cycle– reg.**

In continuation of this Office Circular dated 07.05.2026, inviting preferences/choices for allotment of ICAR-IARI residential accommodation (Type I to Type V) from eligible applicants borne on the ICAR-IARI Waiting List-2026 (circulated on 29.04.2026) (for both fresh allotment and change of accommodation), **preferences are hereby invited from eligible applicants for the June 2026 allotment cycle in respect of the vacant quarters listed in Annexure-I, available for allotment as on 23.06.2026.** The vacant quarters as on 06.05.2026 are under consideration for allotment by the House Allotment Committee (HAC) under the May 2026 allotment cycle. Since additional quarters have become vacant after the issue of the vacancy list dated 06.05.2026, the June 2026 allotment cycle is being initiated to facilitate the allotment of these vacant quarters.

2. All eligible applicants/prospective allottees borne on the current waiting list are requested to submit their preferences/choices of quarter(s), in the **prescribed format at Annexure-II, from among the Quarter numbers indicated in Annexure-I, latest by 06.07.2026 (5:00 PM).** It may, however, be noted that only such of the applicants will be considered for allotment during June, 2026 who are not allotted quarters based on their preferences submitted for May, 2026 cycle.

Applications received after the stipulated date and time, submitted in a format other than Annexure-II, or found incomplete in any respect, shall be liable to rejection. Applications must be submitted only to the Housing Section by the prescribed deadline. Applicants may submit their preferences either:

- a. Through e-Office by creating an e-receipt (and not an e-file); or
- b. In physical form to the Housing Section.

Applications submitted directly to any member of the House Allotment Committee (HAC) shall not be considered.

3. The terms and conditions mentioned in circular dated 07.05.2026 are reiterated as follows:-

- i. The allotment of houses shall be made strictly in accordance with the seniority position in the waiting list for the year 2026 and **the choice(s) exercised by the applicant in terms of the instructions contained in GPRA-2017** as amended from time to time.

ii. Mere indication of preference shall not confer any right of allotment of a particular house.

iii. **In case no preference/choice is submitted by an applicant for any of the houses mentioned in Annexure-I, no allotment shall be made to such applicant during the current allotment cycle.**

iv. However, the seniority/date of priority of such applicant in the waiting list shall remain protected and carried forward for consideration in the subsequent allotment cycle/month.

v. This exercise of inviting preferences for available houses shall ordinarily be undertaken every month, subject to availability of vacant accommodation and administrative exigencies.

**4. The applicants are advised to inspect the vacant quarters, check their preference of type and floor, and after visiting the quarter only submit their preferences for allotment. If the allotment is made as per the preference of the applicant, no change shall be allowed later on.**

5. Applicants to whom allotment memorandum has been issued vide memorandum dated 23.04.2026 and who have in response not accepted allotment will not be considered for allotment for a period of three months as per the provisions of GPRA, 2017.

**6. Every applicant borne on the Waiting List-2026 who wishes to be considered for allotment during the current cycle must submit his/her preferences for the available quarters. In the absence of a duly filled-in proforma (Annexure-II), it shall be presumed that the applicant is not interested in allotment of any of the vacant quarters listed in Annexure-I during the current cycle.**

7. All concerned are requested to ensure timely submission of their options to avoid any inconvenience.

8. This issues with the approval of Competent Authority.




**Assistant Admn. Officer (Housing)**

**Note:** Due care has been taken to prepare the vacancy list of Quarters. However, any inadvertent error or mistake in the vacancy list is subject to correction.

## Distribution:

1. Project Director/All Heads of Divisions/All Section In-charges with the request to circulate this circular among all employees/officers working under their control.
2. Private Secretary to the Director/PPS to All Joint Directors/Senior Comptroller/Chief Administrative Officer (Senior Grade), ICAR-IARI, New Delhi, for information.
3. Chairman & Members of the HAC, ICAR-IARI, New Delhi / Chairman-Works Committee, ICAR-IARI, New Delhi.
4. Secretary, IJSC, ICAR-IARI, New Delhi for information and circulation amongst its members.
5. Director ICAR-NIPB and ICAR-NRIIPM for information and requesting for bringing the contents of the circular to the Notice of all concerned Officials/ employees borne on Waiting List-2026.
6. Executive Engineer, CD-IV, CPWD, Pusa Campus, New Delhi / Inquiry, CPWD, Krishi Kunj, New Delhi / In-charge, Works & ME Section, ICAR-IARI, New Delhi with the request to facilitate quarter inspection (Annexure I) to the eligible applicants.
7. To the In-charge, AKMU, with the request to upload the circular on the Institute's website.
8. Guard file.

Note: In the event of any discrepancy between the Hindi and English versions, the English version shall prevail.



Vacancy List of Quarters as on 23.06.2026				
S.No	Type of Quarter	Location	Floor	Quarter Number
1	Type-V	IARI Main Campus	Ground Floor	B-23
			Second Floor	A-5
			Saryu Apartment	102
2	Scientist Apartment (Type-IV)	IARI Main Campus	Ground Floor	S.A.-12-A
			First Floor	S.A.-16-B, S.A.-17-B
			Third Floor	S.A.-3-D, S.A.-4-D, S.A.-5-D, S.A.-6-D, S.A.-12-D, S.A.-15-D, S.A.-19-D, S.A.-20-D
3	Type-IV	IARI Main Campus	Ground floor	D-26
			First Floor	Nil
			Second Floor	NRC-21
			Third Floor	NRC-23, NRC-48
4	Type III	Krishi Kunj	Ground floor	567, 585, 587
			First Floor	499, 500, 574, 590, 607, 634, 681, 682, 695
			Second Floor	488, 489, 491, 504, 520, 552, 554, 555, 563, 564, 581, 594, 610, 623, 640, 641, 653, 655, 669, 671, 683, 698, 700, 713, 715, 730
			Third Floor	492, 493, 507, 508, 509, 523, 524, 525, 537, 538, 539, 540, 568, 569, 570, 582, 584, 597, 598, 599, 600, 612, 613, 614, 615, 627, 628, 629, 630, 634, 642, 643, 657, 658, 660, 672, 673, 674, 675, 687, 689, 690, 702, 703, 704, 705, 718, 719, 720, 733, 734, 735
6	Type II	Krishi Kunj	Ground floor	256, 272, 348, 349, 392, 407, 421, 436, 452, 453, 571,
			First Floor	274, 275, 306, 366, 382, 409, 411, 424, 425, 427, 440, 441, 454, 470,
			Second Floor	234, 251, 266, 280, 281, 294, 295, 296, 309, 310, 311, 323, 326, 338, 339, 341, 353, 354, 355, 356, 371, 383, 385, 386, 398, 413, 414, 415, 416, 428, 429, 430, 431, 444, 445, 458, 460, 461, 473, 474,
			Third Floor	237, 238, 239, 240, 254, 269, 270, 283, 285, 297, 298, 299, 312, 313, 314, 315, 328, 329, 330, 342, 343, 344, 345, 357, 358, 359, 372, 373, 374, 375, 387, 388, 389, 402, 403, 405, 417, 418, 419, 420, 432, 433, 434, 435, 447, 448, 449, 450, 462, 463, 464, 465, 477, 478, 479, 480
7	Type II	IARI Main Campus	Ground floor	HA-05, HA-38
			First Floor	HA-10, HA-15, HA-17
			Second Floor	HA-14, HA-19, HA-27
			Third Floor	HA-29, HA-30, HA-31, HA-33, HA-34, HA-35
				* HA= Kaveri Apartments
8	Type I	Krishi Kunj	Ground floor	3, 32, 47, 91, 136
			First Floor	37, 50, 64, 67, 124, 139,
			Second Floor	08, 11, 23, 53, 70, 84, 85, 99, 100
			Third Floor	12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 42, 45, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 87, 89, 90, 102, 103, 132, 133, 134, 135, 148, 149, 150, 60





आवास अनुभाग/ Housing Section  
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  
ICAR-Indian Agricultural Research Institute  
पूसा, नई दिल्ली-12 /Pusa, New Delhi-12

Proforma For indicating willingness to accept allotment of IARI quarters as per vacancy list circulated on 23/06/26 only by the applicants in the Unified waiting list 2026

आईएआरआई आवासों के आवंटन को स्वीकार करने की इच्छा दर्शाने हेतु प्रपत्र, जो केवल वर्ष 2026 की एकीकृत प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों द्वारा, दिनांक 23/06/26 को प्रसारित रिक्ति सूची के अनुसार भरा जाए।

Quarter Preference along with Quarter Type, Number and location (As per vacancy list circulated)	1.
	2.
प्रसारित रिक्ति सूची के अनुसार आवास की वरीयता, जिसमें आवास का प्रकार, संख्या एवं स्थान का उल्लेख हो	3.

1.	Name of the Applicant (in block letters): आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में): Mobile Number and Email ID/ मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी	Dr. /Shri/Ms./Mrs. (डॉ./ श्री/ सुश्री/ श्रीमती)
2.	Designation/पदनाम	
3.	Employee No./कर्मचारी संख्या (Attach Copy of ID Card/ पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)	
4.	Gender/लिंग (Male/Female/Transgender) (पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर)	
5.	Married/Unmarried/ विवाहित / अविवाहित	
6.	(a) Is your spouse working in any Central/State Government/Autonomous Bodies/ Ministry/department? If yes, Please specify. क्या आपके पति/पत्नी किसी केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/मंत्रालय/विभाग में कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। (b) Has He/she availed a quarter from his/her respective department? If yes, please provide Location of quarter, type of quarter and quarter number.	

	क्या उन्होंने अपने संबंधित विभाग से कोई आवास (क्वार्टर) लिया है? यदि हाँ, तो कृपया आवास का स्थान, आवास का प्रकार तथा क्वार्टर संख्या प्रदान करें।											
7.	Category/ श्रेणी  (If SC/ST/PwD applicant attach a copy of the certificate)  (यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग से संबंधित है, तो प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाए)											
8.	(a) Date of Joining in ICAR भा.कृ.अ.प. में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि  (b) Date of Joining in IARI भा.कृ.अ.सं. में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि  (c) Date of Joining in offices other than ICAR/IARI (If applicable) आईसीएआर/आईएआरआई के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में कार्यग्रहण की तिथि (यदि लागू हो)											
9.	Present place of posting With effect from (Date) वर्तमान पदस्थापन का स्थान, दिनांक जब से प्रभावी											
10.	Permanent/ Temporary employee  स्थायी / अस्थायी कर्मचारी											
11.	Date of Birth and Date of Retirement  जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि	DOB-  DOR-										
12.	Present Pay Level/ वर्तमान वेतन स्तर (पे लेवल)	(Pay level 1 to 10) → <table border="1"> <tr> <td>Pay level as per 7th CPC/ 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर</td> <td>Date of Obtaining/प्राप्ति की तिथि</td> </tr> <tr> <td>Level-11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Level-12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Level-13/13A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Level 14</td> <td></td> </tr> </table>	Pay level as per 7th CPC/ 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर	Date of Obtaining/प्राप्ति की तिथि	Level-11		Level-12		Level-13/13A		Level 14	
Pay level as per 7th CPC/ 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर	Date of Obtaining/प्राप्ति की तिथि											
Level-11												
Level-12												
Level-13/13A												
Level 14												
13.	Entitled type of quarter as per present pay level											

	वर्तमान वेतन स्तर के अनुसार आवास का पात्र प्रकार	
14.	If residing in IARI Quarter, please mention Quarter No, Type and the date since residing.  यदि आईएआरआई आवास में रह रहे हैं, तो कृपया आवास संख्या, प्रकार तथा निवास प्रारंभ करने की तिथि का उल्लेख करें।	
15.	Has ICAR/IARI/Other organizations cancelled your quarter for any reason whatsoever? (Yes/No) if yes, Please attach a copy of relevant letter.  क्या आईसीएआर/आईएआरआई/अन्य संगठनों द्वारा किसी भी कारण से आपका आवास निरस्त किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कृपया संबंधित पत्र की प्रति संलग्न करें.	
16.	Serial number in waiting list as per Unified waiting list 2026 (As circulated)  एकीकृत प्रतीक्षा सूची 2026 (जैसा प्रसारित) के अनुसार प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type II _____</li> <li>• Type III _____</li> <li>• Type IV _____</li> <li>• Scientist Apartment _____</li> <li>• Type V _____</li> <li>• Type VI _____</li> </ul>
17.	Are You willing to be considered for Quarter allotment by HAC of other quarters if the preferred quarters are not available as per your seniority (Yes/No)  क्या आप अपनी वरीयता के अनुरूप आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में, वरिष्ठता के आधार पर आवास आवंटन समिति (HAC) द्वारा अन्य आवासों के आवंटन हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हैं? (हाँ/नहीं)	
18.	Whether Quarter preferred on Medical Grounds/Other Grounds, if yes, please attach Documentary proof.  क्या चिकित्सीय आधार/ अन्य आधार पर वांछित आवास, यदि हाँ, तो कृपया संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न करें.	
19.	Details of Dependent family Member that are going to reside in the allotted quarter (Name, relation with the allottee, and age of every family member)  आवंटित आवास में रहने वाले परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण (प्रत्येक परिवार सदस्य का नाम, आवंटी से संबंध एवं आयु)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>
20.	IARI Quarter No. and Type in which the applicant has resided till the Date of filling of this application.  इस आवेदन पत्र भरने की तिथि तक आवेदक जिस-जिस आवास में	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>

रहा/रही है, उस आवास का संख्या एवं प्रकार.	4.
---	----

(UNDERTAKING/प्रतिज्ञा-पत्र)

I, \_\_\_\_\_ presently posted in \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_ (Post Name) hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

In case any information provided by me is found to be false, incorrect, or misleading at any stage, I shall be liable for appropriate action/proceedings as per the rules of GPRA-2017 and CCS (CCA) Rules, 1965.

मैं, \_\_\_\_\_, वर्तमान में \_\_\_\_\_ में \_\_\_\_\_ (पदनाम) के रूप में कार्यरत हूँ, यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी किसी भी चरण पर असत्य, गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो मैं जीपीआरए-2017 (GPRA-2017) तथा केंद्रीय सिविल सेवा (CCA) नियम, 1965 के नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई/कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

Date- \_\_\_\_\_  
(दिनांक)

(Signature of the Employee)  
(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

\* A copy of Office ID card must be attached with this application.

\* इस आवेदन के साथ कार्यालय पहचान पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए।

\* No Column should be left blank by the applicant otherwise the form will not be Considered by the House Allotment Committee (HAC).

\* आवेदक द्वारा कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा प्रपत्र पर आवास आवंटन समिति (HAC) द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।